यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0

टी0सी0 46 V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

आदेश

निदेशक मण्डल की दिनांक 06.11.2023 को आयोजित 181वीं बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा निगम सेवकों की सेवा नियमावली के **परिशिष्ट–"क"** में सहायक अभियन्ता (सिविल), सहायक अभियन्ता (विद्युत), अवर अभियन्ता (सिविल), अवर अभियन्ता (विद्युत) एवं सहायक लेखाकार के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/आयु को संशोधित किये जाने पर प्रदत्त अनुमोदन के आलोक में उप सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–3, उ0प्र0शासन के पत्र संख्या–3837/26–3–2023–1662334 दिनांक 12.02.2024 द्वारा उक्त पदों हेतु निर्धारित अर्हता/आयु को संशोधित किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के फलस्वरूप निगम सेवकों की सेवा नियमावली के **परिशिष्ट–"क"** में सहायक अभियन्ता (सिविल), सहायक अभियन्ता (विद्युत), अवर अभियन्ता (सिविल), अवर अभियन्ता (विद्युत) एवं सहायक लेखाकार के पदों पर सीधी भर्ती हेतु कालम–3 में निर्धारित अर्हता को कालम–4 के अनुसार निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

क. सं.	पदनाम	सीधी भर्ती की दशा में पद की वर्तमान में निर्धारित योग्यता/ अर्हता	सीधी भर्ती की दशा में पद की संशोधित योग्यता/अर्हता
1	2	3	4
1	सहायक अभियन्ता (सिविल)	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक के साथ किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग या संस्था/निगम/उपक्रम में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव। **वरीयता**–सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि के साथ कांस्ट्रक्शन मैनेजमेंट (डिप्लोमा एवं डिग्रीधारक) के उपाधिधारक को वरीयता दी जायेगी।	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है।
2	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	विद्युत इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि के साथ किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्था/निगम/उपक्रम में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव। **वरीयता**–विद्युत इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि के साथ कांस्ट्रक्शन मैनेजमेंट (डिप्लोमा एवं डिग्रीधारक) के उपाधिधारक को वरीयता दी जायेगी।	विद्युत इन्जीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है।
3	अवर अभियन्ता (सिविल)	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग या संस्था/निगम/उपक्रम अथवा किसी विख्यात फर्म में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव।	सिविल इंजीनियरिंग में 03 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है।
4	अवर अभियन्ता (विद्युत)	विद्युत इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्त–शासी संस्था/निगम/उपक्रम में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव।	विद्युत इन्जीनियरिंग में 03 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है।

5	सहायक लेखाकार	बी0कॉम की उपाधि के साथ किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग या संस्था/निगम/उपक्रम में लेखाकार्य का 02 वर्ष का अनुभव।	भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में **'ओ' लेवल** डिप्लोमा।

उक्त के अतिरिक्त निगम की सामान्य सेवा नियमावली में अध्याय–दो–भर्ती की सामान्य शर्तें के बिन्दु संख्या–9–आयु (1) में निगम के अधीन किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु 18 वर्ष से कम न हो, को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

"निगम के अधीन किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने उस कैलेन्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, 01 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो।"

उक्त कालम–4 में निर्धारित अर्हता तथा बिन्दु संख्या–9–आयु (1) में किया गया उक्त संशोधन दिनांक 12.02.2024 से प्रभावी माना जायेगा।

प्रकाश बिन्दु
प्रबन्ध निदेशक

संख्या– 8787 /1–1(10)/स्था0/2023–24/वा–II दिनॉक– 14 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, यू0पी0सिडको को स्वयं के तथा अधीनस्थ कार्मिकों के अवगतार्थ प्रेषित।
2– प्रभारी मुख्य अभियंता(पश्चिम/मध्य/पूर्व), यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।
3– अधीक्षण अभियन्ता(वि0/डि0)/प्रभारी वरिष्ठ वास्तुविद, यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।
4– परियोजना प्रबन्धक (मॉनी0), यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।
5– कार्मिक प्रबन्धक, यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।
6– प्रभारी वरिष्ठ लेखाधिकारी, यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।
7– रिटेनर (कम्पनी), यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।
8– वैयक्तिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।
9– रिटेनर (कम्प्यूटर अनुरक्षण), यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10– निगम मुख्यालय स्थित सूचना पट्ट पर निगम मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के सूचनार्थ।

(प्रकाश बिन्दु)
प्रबन्ध निदेशक